

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
उपकारा, उदाकिशुनगंज, बगहा, वीरपुर एवं रोसड़ा।

पटना, दिनांक 21/7/2017

विषय:- राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 अन्तर्गत राज्य की 03 उपकाराओं यथा उपकारा, उदाकिशुनगंज, बगहा एवं वीरपुर में नए डीजल जेनरेटर के क्रय तथा उपकारा, रोसड़ा में डीजल जेनरेटर के मरम्मत हेतु ₹8,37,000 (आठ लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र) की लागत पर क्रय करने के लिए आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.2016, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 तथा स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में राज्य योजना 2016-17 के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड-HOM-5424, विषय शीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत ₹8,37,000 (आठ लाख सैंतीस हजार) रुपये मात्र की लागत पर राज्य की 03 उपकाराओं यथा उपकारा, उदाकिशुनगंज, बगहा एवं वीरपुर में नए डीजल जेनरेटर के क्रय तथा उपकारा, रोसड़ा में डीजल जेनरेटर के मरम्मत हेतु आवंटन की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

क्र	कारा का नाम	राशि	अभ्युक्ति
1	उपकारा, उदाकिशुनगंज	265000	नए डीजल जेनरेटर के क्रय हेतु
2	उपकारा, बगहा	265000	
3	उपकारा, वीरपुर	265000	
4	उपकारा, रोसड़ा	42000	डीजल जेनरेटर के मरम्मत हेतु
	कुल	837000	आठ लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित राशि ₹8,37,000 (आठ लाख सैंतीस हजार) रुपये मात्र का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-052-मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष-0101-काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड-P 4070000520101 स्कीम कोड-HOM. 5424, विषय शीर्ष-52 01. मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

चन्द्रदेव राम मो. जमाबुद्धि असादी  
उपकारा

21/7/2017

3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार की जाएगी।

4. संबंधित अधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि वे बिहार वित्त नियमावली-2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपरोक्त सामग्रियों का क्रय एवं अधिष्ठापन सुनिश्चित करेंगे।

5. योजना के लिये स्वीकृत्यादेश पत्र संख्या-1288 दिनांक-21.03.2017 द्वारा निर्गत है।

6. योजना को ससमय कार्यान्वित कराने का दायित्व संबंधित काराधीक्षकों का होगा, जो योजना को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराकर प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे।

विश्वासभाजन

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी 21/3/17 महानिरीक्षक,  
सं. पदा. कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016.....123

पटना, दिनांक:- 21/3/2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी 21/3/17 महानिरीक्षक,  
सं. पदा. कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016.....123

पटना, दिनांक:- 21/3/2017

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी 21/3/17 महानिरीक्षक,  
सं. पदा. कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016.....123

पटना, दिनांक:- 21/3/2017

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी 21/3/17 महानिरीक्षक,  
सं. पदा. कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-24/2016.....123

पटना, दिनांक:- 21/3/2017

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

चन्द्रदेव राम मो. जमालुद्दीन अंसारी 21/3/17 महानिरीक्षक,  
सं. पदा. कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।